न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 29/2026

शिवराम दिवाकर निवासी बावड़ी (सोडा) तहसील मालपुरा जिला टोंक राज.

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **29.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मैंने वर्ष 2005 में SDO मालपुरा न्यायालय में चले खसरा संख्या 263, ग्राम नारायणपुरा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक के तरमीम/सीमाज्ञान प्रकरण (रोडूराम पुत्र मूलचंद, जाति जाट आदि) से संबंधित निम्न सूचनाएं मांगी थीं –

1. उक्त प्रकरण की पूरी Order Sheet की प्रमाणित प्रति
2. उक्त प्रकरण के अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रति
3. यदि इस प्रकरण में तरमीम/रीविजन की गई हो तो उसका विवरण परंतु आज दिनांक तक मुझे उक्त आवेदन के संबंध में कोई सूचना/उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 495 दिनांक 11.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 116 दिनांक 17.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा से होने से उनके पत्र कमांक 84 दिनांक 02.02.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 85 दिनांक 02.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 548 दिनांक 23.03.2026, 722 दिनांक 09.04.2026 व 808 दिनांक 21.04. 2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

827

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)